



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253082  
CG-DL-E-15032024-253082

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 1350]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1416(अ).—जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मो. यासीन मलिक गुट) (जिसे इसमें इसके पश्चात जेकेएलएफ-वाई कहा गया है) ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है, जो सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं और देश की एकता और अखंडता को बाधित करने की क्षमता रखता है;

और, केंद्रीय सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 22 मार्च, 2019 के अधिसूचना संख्या सा.आ. 1403 (अ) द्वारा जेकेएलएफ-वाई को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया है;

और, यह न्यायनिर्णयन करने के लिए कि क्या जेकेएलएफ-वाई को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त हेतुक है, प्रयोजन के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 के अधीन एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया गया था और अधिकरण ने अपने आदेश अधिसूचना संख्या का. आ. 3460 (अ), तारीख 25 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित, इस प्रकार की गई घोषणा की पुष्टि की है;

और, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिबंध की यह घोषणा 21 मार्च, 2024 को समाप्त हो जाएगी;

और, केंद्रीय सरकार की राय में जेकेएलएफ-वाई ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर देश की अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं, अर्थात्:-

- (1) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अधीन तारीख 14.06.2017 को एफआईआर सं. ईसीआईआर / 03/डीएलजेडओ-11/2017 पंजीकृत की है। अन्वेषण के पश्चात, मामले में मुख्य अभियोजन शिकायत तारीख 24.08.2020 को फाइल की गई थी। इसके पश्चात यासीन मलिक को दोषारोपित करते हुए तारीख 09.01.2023 को एक अनुपूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई और जिसपर तारीख 10.01.2023 को संज्ञान लिया गया। यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;
- (2) जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियां करने के लिए जेकेएलएफ-वाई के कार्यकर्ता मोहम्मद यासीन भट द्वारा हबीब रेस्तरां, श्रीनगर में जेकेएलएफ-वाई के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 121क और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और धारा 13 के अधीन जेकेएलएफ-वाई के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कोठीबाग पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 23/2023 पंजीकृत किया गया है। इस मामले में न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है;
- (3) जेकेएलएफ-वाई के कार्यालयों का उपयोग राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण जेकेएलएफ-वाई के कार्यकर्ता के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, धारा 11 और धारा 13 के अधीन पुलवामा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 44/2019 पंजीकृत किया गया है। इस मामले की जांच हो रही है;
- (4) राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न करने वाली विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण जेकेएलएफ-वाई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और धारा 13 के अधीन हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 42/2019 दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच हो रही है;
- (5) जेकेएलएफ-वाई को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पश्चात, इसके द्वारा हड़ताल के सफल करने के आह्वान की योजना बनाने के लिए जेकेएलएफ-वाई के दो कार्यकर्ताओं के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 के अधीन गंदरबल पुलिस स्टेशन में मामला अपराध संख्या 51/2019 पंजीकृत किया गया है। यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;
- (6) राज्य की शांति भंग करने तथा राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न करने के लिए अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जेकेएलएफ-वाई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध बडगाम पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, धारा 11 और धारा 13 के अधीन मामला अपराध संख्या 61/2019 पंजीकृत किया गया है। यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;
- (7) जेकेएलएफ-वाई को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पश्चात जेकेएलएफ-वाई कार्यकर्ता के विरुद्ध हाजिन पुलिस स्टेशन में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और धारा 13 के अधीन मामला अपराध संख्या 11/2019 पंजीकृत किया गया है। यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है;
- (8) जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग के लिए हवाला सहित विभिन्न अवैध चैनलों के माध्यम से देश और विदेश में धन जुटाने, प्राप्त करने और एकत्र करने में सम्मिलित होने तथा साथ ही सुरक्षा बलों पर पथराव करके, जानबूझकर विद्यालयों को जलाकर, सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाकर और सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़कर कश्मीर घाटी में व्यवधान उत्पन्न करने की दृष्टि से बड़ा आपराधिक षडयंत्र रचने के अपराध के लिए विशेष एनआईए न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तारीख 25 मई, 2022 के आदेश के अधीन जेकेएलएफ-वाई के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, धारा 121, धारा 121क और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 20, धारा 38, धारा 39 और धारा 40 के अधीन मामला अपराध संख्या आरसी-10/2017/एनआईए/डीएलआई तारीख 30 मई, 2017 पंजीकृत किया गया था, जिसके अधीन मोहम्मद यासीन मलिक को आजीवन कारावास और दस लाख रुपये के जुर्माने का दंड दिया गया;

और, उपर्युक्त आधारों पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि:-

- (i) जेकेएलएफ-वाई भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में सम्मिलित है;
- (ii) जेकेएलएफ-वाई आतंकी संगठनों के साथ निकट संपर्क में है और जम्मू और कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकवाद और उग्रवाद का समर्थन कर रहा है;

(iii) जेकेएलएफ-वाई भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को संघ से अलग करने के दावों का समर्थन करने और उकसाने का कार्य कर रहा है तथा भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने वाली गतिविधियों और अभिव्यक्तियों में सम्मिलित होकर इस मकसद से लड़ने वाले आतंकवादी और अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है;

और, केंद्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि जेकेएलएफ-वाई की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो वह निम्नलिखित के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगी –

- (i) विधि द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करते हुए भारत संघ में से एक अलग राज्य बनाने के प्रयास सहित अपनी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ाना;
- (ii) जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत संघ के साथ विलय पर विवाद खड़ा करते हुए उसे संघ से अलग करने की वकालत जारी रखना;
- (iii) देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रतिकूल राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी भावनाओं का प्रचार करना; और
- (iv) अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ाना, उग्रवाद का समर्थन करना और देश में हिंसा भड़काना;

और, उपर्युक्त कारणों से केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि जेकेएलएफ-वाई की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) को 'तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अध्यक्षीन, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, वाले किसी भी आदेश के अध्यक्षीन, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा.सं.14017/21/2023-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

**S.O. 1416(E).**—Whereas the Jammu and Kashmir Liberation Front (Mohd. Yasin Malik faction) (hereinafter referred to as the JKLF-Y) has been indulging in activities, which are prejudicial to security and public order and have the potential of disrupting the unity and integrity of the country;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government declared the JKLF-Y as an unlawful association, vide, notification number S.O. 1403(E), dated the 22nd March, 2019;

And, whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, constituted under section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the JKLF-Y as an unlawful association, by its order published, vide, notification number S.O. 3460 (E), dated the 25th September, 2019 has confirmed the declaration so made;

And, whereas, the declaration of ban under sub-section (1) of section 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, ceases on the 21st day of March, 2024;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that JKLF-Y is indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country, inter alia, on the following grounds, namely: -

1. The Directorate of Enforcement (ED) has registered FIR No. ECIR/03/DLZO-11/2017 dated 14.06.2017 under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). After Investigation, main prosecution complaint in the case was filed on 24.08.2020. Further, supplementary Prosecution Complaint was filed on 09.01.2023, arraigning Yasin Malik as accused and cognizance of which was taken on 10.01.2023. Matter is under trial before the court;
2. Case Crime No. 23/2023 has been registered at Kothibagh Police Station under section 121A of the Indian Penal Code and section 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against JKLF-Y activists for organizing meeting by Mohd. Yaseen Bhat, JKLF-Y activist in Habib Restaurant, Srinagar along with other JKLF-Y activists for undertaking separatist activities in Jammu and Kashmir. Chargesheet filed in the matter before the court;
3. Case Crime No. 44/2019 has been registered at Pulwama Police Station under section 10, 11 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against JKLF-Y activist for use of offices of JKLF-Y to provide financial support to the elements inimical to the sovereignty and integrity of the nation. The case is under investigation;
4. Case Crime No. 42/2019 has been registered at Handwara Police Station under section 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against JKLF-Y activists for subversive activities causing threat to the sovereignty and integrity of the nation. The case is under investigation;
5. Case Crime No. 51/2019 has been registered at Ganderbal Police Station under section 10 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against two JKLF-Y activists for planning of successful call given for hartal by the JKLF-Y after its declaration as an unlawful association. The case is under trial before the court.
6. Case Crime No. 61/2019 has been registered at Budgam Police Station under section 10, 11, and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against JKLF-Y activists for their illegal activities in order to vitiate the peace of the State and to cause threat to the sovereignty and integrity of the nation. The case is under trial before the court.
7. Case Crime No. 11/2019 has been registered at Hajin Police Station under section 10 and 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against JKLF-Y activist after declaration of JKLF-Y as an unlawful association. The case is under trial before the court.
8. Mohd. Yasin Malik, Chairman, JKLF-Y has been sentenced with rigorous imprisonment for life and fine of rupees ten lakh by the Special NIA Court, New Delhi vide order dated the 25th May, 2022 in Case Crime No. RC-10/2017/NIA/DLI dated the 30th May, 2017 registered under sections 120B, 121, 121A of the Indian Penal Code and sections 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 and 40 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for involvement of JKLF-Y leader Yasin Malik for raising, receiving and collecting funds domestically and abroad through various illegal channels, including hawala, for funding separatist and terrorist activities in Jammu and Kashmir through the funds so collected and as such have entered into larger criminal conspiracy for causing disruption in the Kashmir valley by way of pelting stones on the security forces, systematically burning of schools, damage to public property and waging war against Government;

And, whereas, on the basis of above grounds the Central Government is of the opinion that –

- (i) JKLF-Y is involved in anti-national and subversive activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India;
- (ii) JKLF-Y is in close touch with militant outfits and is supporting extremism and militancy in Jammu and Kashmir and elsewhere;
- (iii) JKLF-Y is supporting and inciting claims for secession of a part of the Indian territory from the Union and supporting terrorist and separatist groups fighting for this purpose by indulging in activities and articulations intended to disrupt the territorial integrity of India;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if the unlawful activities of the JKLF-Y are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to –

- (i) escalate its subversive activities including attempt to carve out a separate State out of the territory of Union of India by destabilising the Government established by law;
- (ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing the accession of the State of Jammu and Kashmir with the Union;
- (iii) propagate anti-national and separatist sentiments prejudicial to the territorial integrity and security of the country; and

(iv) escalate secessionist movements, support militancy and incite violence in the country;

And, whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the JKLF-Y, it is necessary to declare the Jammu and Kashmir Liberation Front (Mohd. Yasin Malik faction) as an 'unlawful association' with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Jammu and Kashmir Liberation Front (Mohd. Yasin Malik faction) as an unlawful association.

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Jammu and Kashmir Liberation Front (Mohd. Yasin Malik faction) as an 'unlawful association' with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.14017/21/2023-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.